

प्रेस नोट थाना बांसगांव दिनांक 20-05-2021

अबैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व विक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट पर्यवेक्षण में कच्ची अबैध शराब के कारोबारीयों के विरुद्ध अभियान के तहत टीम बनाकर जगह-जगह छापे मारी की गयी। दविश के क्रम मे ग्राम गुआर से एक नफर अभियुक्त मुन्ना पुत्र बुद्धिराम को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 300 ग्राम नौसादर तथा 600 ग्राम यूरिया व 20 ली० अबैध कच्ची शराब बरामद की गयी जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 124/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट व 272 भा०द०वि० पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मुन्ना पुत्र बुद्धिराम निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 20.05.2021 समय 10.55 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – बसौली मोढ

अपराधिक इतिहास का विवरण –

मु०अ०सं० 124/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट व 272 भा०द०वि०

गिरफ्तारी टीम मे सम्मिलित पुलिस अधि०/कर्मचारी-

- 1.प्र०नि० श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- 2.उ०नि० सुनील कुमार मौर्या
- 3.आरक्षी धनेश कुमार
- 4.आरक्षी अरुण यादव
- 5.आरक्षी जय प्रकाश यादव